IN THE COURT OF MUNSIF, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-61/2020

SHANTI DEVI & OTHERS.....PLAINTIFFS
Vs.
DEVNANDAN SAH & Others.....DEFENDANTS

ORDER

07.02.22 वाद वादी के निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक– 12.10.2021 पर आदेश हेतु नियत है जिसका प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी का अपने आवेदन में कथन है कि वादीगण राज नारायण साह के वारिसान है तथा प्रतिवादीगण लक्ष्मीनारायण साह के वारिसान है। यह कि लक्ष्मीनारायण साह एवं राज नारायण साह दोनों सगे भाई हैं। यह कि मद सं0–3 की भूमि पर वादीगण का आवासीय मकान है, जबकि प्रतिवादीगण मौजा महम्मदीपुर में निवास करते हैं। यह कि वादी कोलकाता में जीविकोपार्जन करता है। यह कि वर्ष 2020 के मार्च माह में कोविड–19 महामारी के दौरान लोक डाउन लगा दिया गया था जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के प्रवेश के रास्ते पर मद सं0–3 की भूमि पर दीवाल खड़ा कर दिया है, जिससे वादीगण का प्रवेश अवरुद्ध हो गया है। यह कि प्रतिवादीगण द्वारा जिस भूमि पर दीवाल खड़ा किया गया है उसका उल्लेख वादपत्र के मद सं0–4 में किया गया है। यह कि वादीगण वापस आकर प्रतिवादीगण को दीवाल खड़ा करने से रोका जिसके कारण विवाद पैदा हो गया एवं वादीगण के द्वारा एसडीएम पटोरी के पास धारा–144 सीआरपीसी के तहत आवेदन दाखिल किया गया। यह कि प्रतिवादीगण धारा–144 के अवधि के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे फिर से वादीगण के प्रवेश को अवरुद्ध कर सके। यह कि प्रतिवादीगण के द्वारा यदि निर्माण पूरा कर लिया जाता है तो वादीगण को घर के अंदर अवरुद्ध होना पड़ेगा अथवा अपने घर में प्रवेश होने से होना पड़ेगा जिसकी भरपायी नहीं की जा सकती है। यह कि प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है तथा यदि प्रतिवादीगण को वादीगण के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने से नहीं रोका गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। यह प्रार्थना की गई कि प्रतिवादीगण को वादपत्र के मद सं0–4 की भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा लगाकर निर्माण से रोका जाए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख में लोकल अधिवक्ता आयुक्त का रिपोर्ट भी प्राप्त है, जिसमें यह कथन किया गया है कि वादपत्र के मद सं0–4 की भूमि पर नवनिर्माण किया गया है। यह कि वादीगण द्वारा वादपत्र के मद सं0–4 की भूमि पर हकियत की भी मांग की गई। प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा आवेदन का जवाब देने एवं इसपर बहस करने हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका है, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा निषेधाज्ञा आवेदन का ना ही जवाब दिया है और ना ही बहस प्रस्तुत किया है। वादीगण का मद सं0–4 की भूमि के संबंध में प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का संतुलन बनता है, क्योंकि मद सं0–4 की भूमि पर निर्माण से वादीगण को अपने आवास में आने और जाने से अवरुद्ध होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वादपत्र के मद सं0–4 की भूमि पर अगले आदेश तक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाता है।

दिनांक– 28.03.2022 वास्ते वाद–विषय के गठन हेतु।

07/02/22

मुंसिफ,
शाहपुर पटोरी